RAJYA SABHA

Thursday, the 11th March, 1999/20 Phalguna, 1920 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman, *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Guidelines for Allotment of Petrol Pumps

@*221. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the details of latest procedure and guidelines that govern allotment of petrol pumps and LPG agencies in different parts of the country;

(b) the details of tehsil headquarters of Banswara district of Rajasthan which do not have petrol pumps;

(c) whether such places in the district have been identified for allotment to specific cotegories e.g. SCs/STs etc.; and

(d) if so, the details thereof?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं ।

विवरण

(क) मौजूदा नीति के अनुसार, तेल कंपनियां विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत अनुमोदित विपणन योजनाओं में शामिल स्थानों को दो समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी दैनिक और दूसरा स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, आवास, आय, बहु डीलरशिप मानक आदि से संबंधित पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन मांगते हुए, विज्ञापन देती हैं । पात्र उम्मीदवारों में से डीलरों/डिस्ट्रीव्यूटरों का चयन विधिवत् रूप से गठित डीलर चयन बोर्ड द्वारा किया जाता हैं । विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध आरक्षण निम्नवत् हैं :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां 25 प्रतिशत (अ0 जा0/अ0 ज0 जा0)

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 5 प्रतिशत (शा0 वि0)

अर्ध सैनिक/पुलिस/ सरकारी कर्मी (पीएमपी) 8 प्रतिशत

रक्ष कमी (र0 क0) 8 प्रतिशत

स्वतंत्रता सेनानी (स्व0 से0) 2 प्रतिशत

विशिष्ट खिलाड़ी (वि0 खि0) 2 प्रतिशत

सामान्य (सा0) 50 प्रतिशत

साथ ही, उक्त कथित सभी श्रेणियों में डीलरशिपों डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 33 प्रतिशत उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं । अन्य शर्ते समान रहते हुए ऐसी अविवाहित महिलाएं, जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हैं और जिनके माता-पिता आय अर्जन नहीं कर रहे हैं तथा विधवाओं को अन्य महिलाओं को अन्य महिलाओं के ऊपर वरीयता दी जाती हैं ।

(ख) तेल कंपनियों ने बताया हैं कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सभी पांच तहसील मुख्यालयों में खुदरा बिक्री केन्द्र हैं, जिनके ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

तहसील	प्रचालनरत खुदरा बिक्री केन्द्रों की सं0
बांसवाड़ा	3
कुशलगढ़	1
बागीडोरा	1
गाढ़ी	1
घटोल	1

(ग) और (घ) राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 8 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें लगाने की भी योजना हैं । स्थानों का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत् हैं:-

स्थान	श्रेणी
सज्जनगढ़	सामान्य
प्रतापपुर	अ0ज0जा0
छिंछ चौराहा, सागडोडा	अ0ज0जा0
गंगा थालाई	विशिष्ट खिलाड़ी
आनंदपुरी	अ0जा0
दानपुर	सामान्य
पिपलखूंट	सामान्य
बांसवाड़ा-अजमेर रोड	अ0ज0जा0

@ Starred Question. Nos. 221 and 236 were ' taken together.